

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो S. K. Koriwal 2. वर्तमान धारित पद Asst. Secretary

3. वर्तमान वेतन 82400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख July - 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① INDORE	Home	—	25 lakh (Property flip taken)	— 2 बच्चे	18. lakh CBI loan 7. lakh Father Dr. S. C. Koriwal Sec Chellara B.O.	—	
② INDORE	Home	—	60-lakh	- wife & 11th	पुस्तनी घर 18/9 प्लैट ग्रुन्ट्स सेल्स (R/A) - 25 lakh क्रि. तारी - 45 lakh की Home loan + 00 PNB से ली गई।	(21A) - 25 lakh + 05 lakh	wife Asst Sec S. K. Koriwal FLAT Bhamra on SALE क्रि. (2024 में) 30 lakh CBI loan 24.5 - ठेका 5 लाख - 5 लाख

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अंतरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

S. K. Koriwal

Asst. Secretary

MPBSE INDORE

W-0-287-35-दि-24-1-022-1000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२४-२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती विमला मिश्र 2. वर्तमान धारित पद प्रधानाध्यापिका

3. वर्तमान वेतन 74900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख नियमानुसार जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मकान नं. 11 इइस प्रज्ञापरिसर अवधपुरी भोपाल (म.प्र.)	भवन	स्वयं	35,00,000/-	—	LIC हाऊसिंग फाइनेंस लि. से भोन एवं स्वयं के बचत से	- Nil -	—
मकान नं. A-11 (मैरिंगोला) अल्होमेट इग्लिश विद्या कोलाह रोड भोपाल (म.प्र.)	भवन	स्वयं	50,00,000/-	—	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैदा मिला भोपाल (म.प्र.)	- Nil -	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार मांगने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
 नाम Smt. Vimla Mishra
 पद Headmistress

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आर. के श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद उप डायरी

3. वर्तमान वेतन ८०,०००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१/०७/२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भोपाल	प्लॉट	—	30 लाख	स्वयं	क़य किया	निरक्ष	
2. भोपाल	प्लॉट	—	12 लाख	स्वयं	क़य किया	निरक्ष	
3. दतिया	प्लॉट	—	०५ लाख	स्वयं	क़य किया	निरक्ष	
4. दतिया	मकान	—	75 लाख	माताजी के नाम	पिता जी के क़य	60 हजार	
5. दतिया	—	क़य भूमि	60 लाख	सम्मिलित पैतृक	पिता जी के क़य	65 हजार	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परचान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-रक्षा-अ-दि-24-1-022-10000 %

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रीमली ममता दीक्षित 2. वर्तमान धारित पद व्यारखाता3. वर्तमान वेतन 80000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कोलार जे.के. हॉस्पिटल के पास जिला मोपाल	सह फ्लैट नं. 602 AB ब्लॉक 1900 स्क्वायर सिग्नेचर रेसीडेन्सी कोलार मोपाल	-	70 लाख	स्वयं के नाम से	नवम्बर 2023 में बुकिंग नोट:- कठारा हिल्स ग्राम करई तहसील हूबल जिला मोपाल। को बेचकर सिग्नेचर रेसीडेन्सी में खरीदा		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-र-श-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पूनम चंद पड़मार 2. वर्तमान धारित पद आरम्भ

3. वर्तमान वेतन 7.7.100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे			यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	(5)	(6)	(7)	(8)
जावरा जिला-रतलाम	गृह	-	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर है।	स्वरीद्वार बैंक से ली लेजर अक्युज रसीद (बड़वड़ा) 13/2/03	Nil	-
गांव-धतरावदा जिला-रतलाम	गृह	कृषि भूमि 09 बीघा	ज्ञात नहीं	स्वयं एवं परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर है।	विरासत में प्राप्त गांव-धतरावदा	70000/-	-
गांव-धतरावदा जिला-रतलाम	-	कृषि भूमि 04 बीघा	ज्ञात नहीं	पुत्र अजीत पड़मार के नाम पर है।	स्वरीद्वार पञ्जाब बैंक से ली (धतरावदा) लेजर अक्युज (अपजारा) 11/3/08	53000/-	-
गांव-धतरावदा जिला-रतलाम	आवासिमा लवा	32X42	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर है।	स्वरीद्वार फंडा सिई (धतरावदा) 02/5/18	Nil	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली, या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर पुनम चंद पड़मार 10/1/25
 नाम पुनम चंद पड़मार
 पद आरम्भ

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता
3. वर्तमान वेतन 81,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) करखेड़ी खुर्द (नीलबड़)	5000 वर्ग फुट (निम्न धरा)	-	शान्त नदी	श्रीमती प्रवीण मेहरोत्रा	पैसा (कम्पनि) जी.पी.एस. ६	-	
(2) एम पोडरस (नीलबड़)	797 वर्ग फुट	-	6 लाख	- 11 -	Central BANK Loan (E-93 भोजपुर वेचका वना)	2 लाख	
(3) रोवूरखेड़ी (नीलबड़)	-	11025 वर्ग फुट	7 लाख	- 11 -	हबेय की वचन कल्पखेड़ा का लाल वेचकर सीखरी की	-	
(4) गोरगाँव नीलबड़	-	4000 वर्ग फुट	25 लाख	स्वयं	पुत्रों द्वारा RTG के माध्यम से किया गया		

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 16-01-25नाम अशोक कुमार व्याख्यातापद व्याख्याता

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/

श्रीमती निर्मला बोरगी 8-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती निर्मला बोरगी 2. वर्तमान धारित पद (प्रभारी) प्राचार्य

3. वर्तमान वेतन ₹ 77100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 07-07-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1- ग्राम बन्नाखेडा तहसील - जावरा जिला - इतलाम	गृह	-	ज्ञात नहीं	स्वयं	यू. को. बैंक जावरा से लोन द्वारा	निरंक	-
2- ग्राम - कुम्हारी तहसील - जावरा	-	प्लॉट	—॥—	स्वयं	03-11-14 को श्रीमती सुमित्रा प्रति राजेन्द्र से क्रय	निरंक	-
3- तहसील - जावरा जिला - इतलाम	-	प्लॉट	—॥—	स्वयं	15-12-21 को श्री अंजनी कुमार से क्रय	निरंक	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर श्रीमती निर्मला बोरगी
 नाम श्रीमती निर्मला बोरगी
 पद प्रभारी प्राचार्य
 मॉडल स्कूल जावरा

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती अलका पाराशर 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता

3. वर्तमान वेतन 74900.00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, बिरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. वह पाराशर जिला रामगढ़	गृह	—	सहकारी स्वयं	स्वयं	लगातार रजिस्ट्री कराकर निर्माण	—	—
2. गात्र पंचायत कांस्टा	—	भूमि	सहकारी स्वयं	स्वयं	03/07/12 को जीएसटी द्वारा	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे बिरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर श्रीमती अलका पाराशर

नाम श्रीमती अलका पाराशर

पद व्याख्याता

W-0-25A-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजा अशोक प्रसाद 2. वर्तमान धारित पद उपायुक्त3. वर्तमान वेतन 72,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. गांव/बो- सिमरा तह- पुर्बीडा गृह जिला- लीकम गढ़ (मह)		100x60 = 6000 वर्ग फिट	1,20,000/-	पिताजी के नाम	विरासत में	Nil-	Nil-
2. देरी रोड- दारपुर जिला- दारपुर (मह)	- मकान	50x60 = 3000 वर्ग फिट	25,00,000/-	स्वयं के नाम मकान	कम किया गया	Nil	Nil-
3. सरई रोड जीवन ज्योति कालेजी म.प.र. के पीछे- दारपुर (मह)	द्वार	40x50 = 2000 वर्ग फिट	15,00,000/-	स्वयं के नाम	कम किया गया	Nil-	Nil-
4. गांव/बो- पिछोरा कला जिला दारपुर (मह)	खेती अमीन	2 1/2 एकड़	10,00,000/-	स्वयं के नाम	कम किया गया	-10,000/-	Nil-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार हाईने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Rajesh

नाम

राजा अशोक प्रसाद

पद

उपायुक्त - भोपाल हाउसिंग

सीवा (मह)

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष १९८०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मनोज कुमार चतुर्वेदी 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता

3. वर्तमान वेतन 60900 = ०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम- बन्ना खेड़ा तह - जावरा जिला - रतलाम (मध्य)	सह	700 Sq/ ft.	1325000 = ००	स्वयं	खरीदा दि. 17/02/2016 खिफेता- दुर्गा बाई पति मंगीलाल	Mil	—
2. मैजा - सरानी प्र. हा. नं. 65 श. नि. म. जिला - छतरपुर (मध्य)	प्लॉट	2000 Sq. ft.	204500 = ००	स्वयं	खरीदा दि. 09/05/2018 खिफेता- प्रदीप दुवे	Mil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Manoj

नाम

MANOJ K. CHATURVEDI

पद

Lecturer

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-1000/1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२४-२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्यामान्वरण उपवर्गी लोधी 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता (कृषि)3. वर्तमान वेतन ... 62700 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राव/पो. रोशना तहसील/जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश)	गृह स्वकृति	1 एकड़	1,00,000	स्वयं स्व. भाई	पैतृक	6,000/-	—
2. ग्राव-आंबलासरी पो. भरवेली तहसील/जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश)	गृह	3380 वर्ग फीट	30,00,000	स्वयं स्व. भाई	होम लोन (LIC)	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

श्यामान्वरण उपवर्गी लोधी

पद व्याख्याता (कृषि)

मॉडल हाउस स्कूल, रिबिड (कारनल)
सेवा (मध्य प्रदेश)

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

Pushplata Masan

Lecturer

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 62400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-04-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सोहागपुर - गांव जिला भोपाल	-	भूमि 1400 sq ft	25 laks	स्वयं	लेन द्वारा		

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्यामिल्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Pushplata Masan
Lecturer

W-0-28A-35-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश सिंह 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता

3. वर्तमान वेतन 62,700 + 4200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(I) शिव तहसील हुजूर बडि आंखानगर उरहट शिव	गृह	1052 Sq. feet	36,00,000	पिता के नाम पर	पैलक विरासत बचत एवं बैंक लोन द्वारा	NIL	
(II) शिव तहसील बडि 15 तहसील हुजूर शिव (म.प्र.)	चलार	2025 Sq. feet	20,00,000	पत्नी के नाम पर	बचत एवं बैंक लोन द्वारा	NIL	
(III) गढ़िया शिव हुजूर तह. म.प्र.	चलार	2268 Sq. feet	15,00,000	स्वयं के नाम पर	बचत एवं बैंक लोन द्वारा	NIL	
(IV) जिला प्रयागराज तह. वाराणसी प्रयागराज	एकड़ जमीन	कृषि भूमि	50,00,000	स्वयं के नाम पर	पैलक -	50,00,000	
(V) जिला प्रयागराज तहसील वाराणसी प्रयागराज 309	चलार	960 Sq. feet	16,00,000	पत्नी के नाम पर	बचत एवं बैंक लोन द्वारा	NIL	
(VI) प्रयागराज जिला तह. वाराणसी प्रयागराज	चलार	2000 Sq. feet	10,00,000	पत्नी के नाम पर	बचत एवं बैंक लोन द्वारा	NIL	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ... f. Singh

नाम Rajendra Singh

पद Lecturer

W-0-277-अ-दि-24-1-022-10000/1

फार्म

नवम्बर 2025

प्रारम्भिक निवृत्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है वित्त कुमार वडिये 2. वर्तमान धारित पद व्यवसायी3. वर्तमान वेतन 60900 + D.A अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. महावडिया ग्राम कोलार (भोपाल)	2 bHK फ्लैट	-	21 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर	वचन एवं S.B.I. होम लोन द्वारा	NIL	NIL
2. दामरवेडा कोलार रोड (भोपाल) (Under construction)	3 bHK फ्लैट	-	45 लाख लगभग	पत्नी के नाम पर (नन्हेलाल वडिये)	वचन एवं S.B.I. होम लोन द्वारा	NIL	NIL

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेल के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली निवृत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम वित्त कुमार वडियेपद व्यवसायीविद्योहित कर्मा

W-0-27A-अ-दि-24-1-022-10000/1.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. श्रीमती 2. वर्तमान धारित पद वि. वि. प्रशासक
3. वर्तमान वेतन 60,900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
[1] ग्राम - <u>खजपुर</u> तह - <u>बालासोर - सिविल</u> <u>सं०५०</u>		<u>2-20 खे. 25 लाख</u> <u>2.020</u> <u>खे.</u> <u>25 लाख</u> <u>(584)</u>		<u>स्वयं द्वारा</u> <u>खरीदी श्री</u> <u>[श्री. श्रीमती]</u>	<u>कम की गई है</u> <u>MP 392942024</u> <u>AU 283132</u> <u>दिनांक - 25/10/24</u> <u>श्री. श्रीमती</u> <u>25 लाख</u> <u>2 लाख - 2020 खे.</u>	<u>5 लाख</u>	
[2] <u>खजपुर [मजगाह]</u> <u>सं०५०</u>	<u>30x50</u> <u>1500 वर्ग फीट</u>	<u>खे.</u>	<u>25 लाख</u>	<u>पति</u> <u>सुभाष चंद्र</u>	<u>विरासत</u> <u>(पैसा)</u>		
3. <u>खजपुर</u> <u>सं०५०</u>		<u>15 लाख</u>	<u>50 लाख</u>	<u>पति</u> <u>सुभाष चंद्र</u>	<u>विरासत</u> <u>(पैसा)</u>	<u>5 लाख</u>	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिनत्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली, या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्री. श्रीमती
वि. वि. प्रशासक [कानून]
उपायुक्त उ० भा० सि०
वि. वि. प्रशासक
ज- 940 653658

W-0-27A-3A-दि-24-1-022-1000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन 68,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख नियमानुसार

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
E-185 Minal Residency J.K. Road Bhopal	गृह	-	17,00,000/- (सत्रह लाख) अनुमानित	मेरे पिता एवं मेरे नाम पर	H.D.F.C. से लोन लेकर सन 2000 में	-NIL- स्वयं के आवास के लिए	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरा दें।

हस्ताक्षर

नाम ओश उमा
 पद ० भारखाता

W-0-28A-A-दि-24-1-022-10000/.

दिनांक 10-01-2025

16

GAD Form (W) I

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रूप सिंह कुशराम 2. वर्तमान धारित पद व्यवसायी3. वर्तमान वेतन BASIC-70600 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 10927-00 माह जुलाई
P-BAND-4200

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. रुम-872 रुम-873 नेहरू नगर-भोपाल	15x30=450 को फ्लैट के दो कमरे	-	17,00,000/- इ प्रत्येक 17,00,000x2 =34,00,000/- को तीसरी मंजूर	स्वयं तथा पत्नी के नाम पर	सन् 2004 में नीति लायू पंचायत द्वारा स्वयं बैंक लोन लेकर रुम किए थे	नहीं	-
2. ग्राम-बौसा पोस्ट गुनलवाह थाना व वृहत्तल-शहपुरा जिला-डिण्डोरी (म.प्र.)	-	20 एकड़ (बौसा) एकड़	18,00,000/- गुनलवाह थाना	पिता जी तथा चाचा जी के नाम पर	विरासत से	6,00,000/- एक लाख रुपये (म.प्र.ग.) डिण्डोरी	वर्तित सम्पत्ति गुनलवाह में रहने वाले मेरे माता तथा चाचा के स्वयं के हैं।

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

रूप सिंह कुशराम
व्यवसायी

W-0-रथा-अ-दि-24-1-022-10001.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती उमा नेताम 2. वर्तमान धारित पद C्यान्ता
3. वर्तमान वेतन 6.2700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① E-50 पटेलनगर रायसेन रोड भोपाल म.प्र.	गृह	—	50 लाख	ससुर जी	ससुर जी का स्वयं	—	—
② G-1-161-D सेक्टर पटेल नगर रायसेन रोड भोपाल	फ्लैट	—	19 लाख	स्वयं	बैंक से लोन से स्वयं की बचत तथा G.P.F से	—	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Uma

नाम

श्रीमती उमा नेताम

पद

(C्यान्ता)

W-0-287A-अ-दि-24-1-022-10000/1.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो २८/०१/५८/५५५५५५ 2. वर्तमान धारित पद ८५/६५/५५/५५

3. वर्तमान वेतन ७०६००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख निधमा ३५/५५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S-1065 नेहा नगर कोषाल	२८	-	20,0000/-	भरेपतिपत्र एवं के नाम पर	SBI से लोन लेने के लिए दिया	-	-
मकान 136 ग्रांड स्ट्रीट कोषाल	२८	-	27,50000/-	भरेपतिपत्र	LIC द्वारा लोन	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्जन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Rahayat
 नाम २८/०१/५८/५५५५५५
 पद ८५/६५/५५/५५

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गुंडेया सिंह शुक्ल 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता3. वर्तमान वेतन 70,600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1- ग्राम- वजूरकिला भौपाल प.ह. नं. 231 1/2/2/2/1/2/1 एवं 3/2/2/1	भूखंड	भूमि	70,00,000/- Seventy Lakh	स्वयं के नाम पर	स्वयं की वचत HDFC UCO Bank से Loan तथा PF से भुगतान करके प्राप्त	—	
2- 290/1/290/1/1/1 290/1/2/290/1/3/200 1/2 नं. की शा. भा. ग. एवं	मकान लगाव कठ 71	—	31,00,000/- Thirty one Lakh	पुत्र के साथ संयुक्त नाम	Alla habod bank से Loan लेकर उपभोग	—	
3- ग्राम- भिखरीडी एवं ग्राम- वरवलपुर जिला- डिंडोरी	—	भूमि भूमि	50,00,000/- Fifty lakh	पैतृक, स्वयं के नाम से	भूमि से 11.5 लाख 10,00,000/- स्वयं की वचत One lakh	—	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वहीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-रक्षा-अ-दि-24-1-022-10000/1.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जीप्रती चंचला नारद 2. वर्तमान धारित पद एम।ए।टी।
3. वर्तमान वेतन 70600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हेप्पी डोम सोसायटी लाला लाजपत राय डा. लोनी मोपाला	फ्लैट	-x-	170000/-	स्वयं के नाम	वै. लोनी	-x-	-x-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पहचानू यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

09/01/25

नाम

जीप्रती चंचला नारद

पद

एम।ए।टी।

W-0-र-श-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री श्री सीता उपाध्याय 2. वर्तमान धारित पद एम.एल.ए.
3. वर्तमान वेतन 75500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल कोलाह	—	लगात 20 बीघा	20 बीघा	स्वयं तथा पति के नाम	वै. ले. लोन मल	मल	मल

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम श्री श्री सीता उपाध्याय
पद एम.एल.ए.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जी.पी. मंजु-जी.वास्तव 2. वर्तमान धारित पद U.D.T.3. वर्तमान वेतन 54500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>मोपल</u>	<u>मकान</u>	<u>—</u>	<u>30 लाख</u>	<u>स्वयं के नाम पर</u>	<u>स्वयं की वसत एवं बैंक लोन द्वारा</u>	<u>NIL</u>	<u>—</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-र-शा-अ-दि-24-1-022-1000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शिशुपाल सिंह यादव 2. वर्तमान धारित पद उ.ओ. डिप्टी
3. वर्तमान वेतन 54900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. भीमाल (इलाहाबादपुर)	मकान	-	-	स्वयं	खेती	-	-
2. भीमाल (इलाहाबादपुर)	लॉट	-	-	स्वयं	पारिवारिक सदस्य	-	-
3. सिरौज	मकान	-	-	माता-पिता	पुइली मंजरी	-	-
4. सिरौज	-	कृषि भूमि	-	माता-पिता	पुइली मंजरी	-	-
5. नारायणपुर	-	-	-	-	-	-	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर (Signature)
नाम शिशुपाल सिंह यादव
पद उ.ओ. डिप्टी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Preeti Dehaseya 2. वर्तमान धारित पद U.D.T.3. वर्तमान वेतन 49500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बिसनखेड़ा ग्राम चे।पाल	-	9505sqft	5,50,000/-	स्वयं के नाम पर	खरीद	-	-

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Preeti Dehaseya
U.D.T.

W-0-28A-A-रि-24-1-022-10000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नीरज कान्त शर्मा 2. वर्तमान धारित पद उच्च श्रेणी शिक्षक
3. वर्तमान वेतन 90350.00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. नेपाल/सप्तरी जिला/कलैया/महाराजगंज/महाराजगंज	घर	-	28 लाख	श्रीमती शान्ताराम पत्नी	गृह श्रृंग	निरंक	
2. नेपाल/सप्तरी जिला/महाराजगंज/महाराजगंज	घर	-	15 लाख	स्वयं	अभिलेख/पट्टा/श्रृंग द्वारा	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्यामिल्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम नीरज कान्त शर्मा
पद उच्च श्रेणी शिक्षक

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती प्रियंका परमार 2. वर्तमान धारित पद उ. अ. शि.

3. वर्तमान वेतन 58200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) कौलार (भोपाल) रायपिंक सिटी	Duplex under (construction)	—	20 लाख	स्वयं	—	—	—
2) (भोय सिटी) होशंगाबाद रोड भोपाल	800 sq feet plot	—	5 लाख	—	—	—	—

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के परवान पर धारण कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

10-01-25

प्रियंका परमार

उ. अ. शि.

W-0-र-शा-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है मनोहर सिलोदिया (माडल स्कूल जाबरा) 2. वर्तमान धारित पद उ. प्र. शि.3. वर्तमान वेतन 58200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जाबरा जिला रतला	15x45 म्मान	-	ज्ञात नहीं	स्वयं	2003 में प्रहला द्वारा	-	-
जाबरा जिला रतला	-	10x45 प्लॉट	ज्ञात नहीं	स्वयं	सित. 2013 में सहीदा	-	-
शेगांव जिला खरगोन	-	पड़त भूमि	ज्ञात नहीं	स्वयं	2014 में सहीदा	-	-
खरगोन	-	पड़त भूमि	ज्ञात नहीं	स्वयं	सित. 2013 में सहीदा	-	-
खरगोन	-	प्लॉट	661000/-	पत्नी	21.9.2020 को संजुस से शा.से पत्नी की	-	-
खरगोन	-	प्लॉट	434475/-	संजुस पति-पत्नी	बचत से खरीदा	गोपाल शर्मा	-
बली जिला खरगोन	-	कृषि 1.75	पुरतनी	स्वयं	- " -	मेरूम हरिकान खरगोन	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर...

नाम मनोहर सिलोदियापद उ. प्र. शि.

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती हेमती रानी वर्तमान धारित पद ४ जे.पी. शिक्षक

3. वर्तमान वेतन 510.00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख फुल्लाई २०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
२७ शांति व्यव नगर कालोनी जावरा रतनाम (म.प.)	गृह	जावरा	स्वयं	स्वयं	बैंक प्रदत्त ऋण	—	—
२७ शांति व्यव नगर कालोनी जावरा रतनाम (म.प.)		खोह	जावरा	स्वयं	नगद	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर...

नाम हेमती रानी

पद ४. जे.पी. शिक्षक

मॉडल स्कूल जावरा

रतनाम (म.प.)

W-0-22A-A-दि-24-1-022-10000/1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2024

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉंगर सिंह खन्ना 2. वर्तमान धारित पद उ.श्रे.शि.

3. वर्तमान वेतन 48100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - रतलाम तहसील - जावरा ग्राम - बन्नाखेड़ा	गृह 20 x 35	--	ज्ञात नहीं	स्वयं	खरीदा ऋण द्वारा	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम - डॉंगर सिंह खन्ना

पद - उ.श्रे.शि.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो योगेश मिश्रा माडल स्कूल 2. वर्तमान धारित पद उ. प्रे. सी.

3. वर्तमान वेतन 46700 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोयाल शहडोल	गृह (निर्माणाधीन)	25 लाख	स्वयं	स्वयं	स्वअर्जित	Nil	
	-	6000 sq feet	35 लाख	स्वयं	विरासत (पुश्तेनी)	Nil	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके संपत्ति का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Rogesh Mishra

Rogesh Mishra

U.D.T.

Model H.S. School, T. T. Nagar

W-0-27A-3A-दि-24-1-022-10000/1.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Varsha Khady 2. वर्तमान धारित पद U.D.T
3. वर्तमान वेतन 46,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल	गृह (आवासीय) मकान	-	70,00,000/-	स्वयं	जावरा (रतलान) आवासीय मकान को विक्रय किया एवं SBI से गृह ऋण प्राप्त कर आवासीय मकान का निर्माण कराया।	NIL	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अंतरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Varsha Khady

U.D.T

W-0-28A-A-दि-24-1-022-1000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सीताराम उइके 2. वर्तमान धारित पद उ. प्र. शि.3. वर्तमान वेतन 45300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम सौरा पो. मजगांव तह. बरह जि. बाकसवार म. प्र.	कच्चा मकान	3 एकड़	1800000	पिताजी श्री डी. वि. उइके	विरासत	उत्साह	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली, या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/.

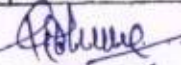
फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जी० पी० दुर्वे 2. वर्तमान धारित पद सहायक शिक्षक
3. वर्तमान वेतन 70600 = 00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम पोस्ट - लिलवानी तहसील - गडखारा जिला - नरसिंहपुर (मध्य)	गृह	कुचिभूमि 2.5 एकड़	3900000-00 अनुमानित	स्वयं	विरासत	50000 = 10	₹
जिला - भोपाल (मध्य) चिनार डीम सिटी दोशंगाबाद रोड भोपाल मध्य प्रदेश	फ्लैट 3BHK	—	3900000-00 अनुमानित	पत्नी	HDFC बैंक से लोन स्व वेतन से कला द्वारा कम	₹	—

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली, या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 

नाम जी० पी० दुर्वे

पद सहायक शिक्षक

W-0-287A-A-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमति सुधा अलनोर्ज 2. वर्तमान धारित पद २५ शिक्षिका

3. वर्तमान वेतन 627,000 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह	—	35 लाख	स्वयं के नाम	लोन द्वारा	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-27A-A-दि-24-1-022-10007.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

महेश कुमार नोटिया

2. वर्तमान धारित पद

स. शिक्षक

3. वर्तमान वेतन

58200/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1 जुलाई-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जावरा जिला रतलाम	गृह	-	2200000/- अनुमानित	स्वयं	बैंक कृण द्वारा	-	-
		प्लॉट	500000/-	९९	बैंक कृण द्वारा	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम

महेश कुमार नोटिया

पद

सहायक शिक्षक

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डा. डी. व. म. 2. वर्तमान धारित पद सहायक शिक्षक3. वर्तमान वेतन 74900+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***छोटे, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला - भोपाल हसीम - कोल्हार वाड - रतनपुर 84 N सोमया एकराशीन	प्लॉट 2 2 BHK H.P. लाइन		15 लाख	हान	पैकलोन SBI - 135000/ सिमेंट पत्र - 150000/	Nil	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/.

(5)

GAD Forms (W) I

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सौरभ कुमार मोढ़ 2. वर्तमान धारित पद सहा. शिक्षक

3. वर्तमान वेतन 49500 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़ोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम करोंद जिला भोपाल	फ्लैट	—	18 लाख	स्वयं	बैंक लोन 8.40 लाख गैस राहत 3 लाख माताजी से 3 लाख पत्नि एवं स्वयं की वचत 2 लाख 2014 में क्रय	—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Saurabh

नाम

सौरभ कुमार मोढ़

पद

सहा. शिक्षक

W-0-28A-A-दि-24-1-022-10000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनवर लाल 2. वर्तमान धारित पद निहास रिटायर
3. वर्तमान वेतन 46700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख अनवर 6.1.2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बिहीन रिवा माला रिवा (4.31)	गृह	25x50 1250 वर्ग फीट	लगाया 700000/- (माला लाल)	पैरी माला रिक्ती फिलेना अनवर के तम पर	पुल्लेनी	-	पुल्लेनी के तम पर अनवर के संभार

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों के अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्यामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम अनवर लाल निहास रिटायर
पद निहास रिटायर मंडल की सेवा (43)

W-0-28A-अ-दि-24-1-022-10000/.

27th 11/11/11

3. वर्तमान वेतन 53300 अगली वेतनदृष्टि की तारीख 01.10.2025

$$N' \parallel$$

हस्ताक्षर

नाम श्री. जसलाल खान

यदुल्लेखनीय है

W-0-2271-3A-दि-24-1-022-10000 %

फार्म

2024-25

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डॉ. एम. एल. साहू 2. वर्तमान धारित पद प्राचार्य (सहायक प्राध्यापक प्रतिनियुक्ति)
3. वर्तमान वेतन 16,2,606.00 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन रोड हुजुर	-	1500 वर्ग फु. 11.00 एकड़		पति एवं स्वयं संयुक्त	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया एच.एच.डी. एफ.सी. बैंक लोन 23.4.2011 मोहन चौक से	-	-
संजित नगर भोपाल	2205 वर्ग फु.	-	1.00 एकड़	पति एवं स्वयं संयुक्त	सैल बैंक ऑफ़ इण्डिया से लोन 29.08.2021 आलो महराजी	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

मा. शि. म. म. उ. भोपाल

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवलम्बित सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम, तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती सीमा गोड 2. वर्तमान धारित पद प्राचार्य प्रतिनिधित्व पर सर. प्र.

3. वर्तमान वेतन 95100 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह	—	लगभग 55 लाख	संबुद्ध नाम पति श्री अजय मिश्रा	स्वयं की वचत लोन लेकर ७५ किया गया।	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवलम्बित सम्पत्ति के बारे में दें।

हस्ताक्षर

नाम श्रीमती सीमा गोड

पद प्राचार्य प्रतिनिधित्व पर सर. प्र. प्राध्यापक

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२५-२६

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नुसरत चौधरी मास्टर, 2. वर्तमान धारित पद सहा. प्राध्यापक
3. वर्तमान वेतन 16870 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम बड़ई भोपाल	N/A	कृषि भूमि	5,00,000	स्वयं	स्वयं खरीदा	N/A	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिनत्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

हस्ताक्षर
नाम
पद

W-0-रशा-अ-दि-२५-१-०२२-१००००१

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवसल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२४-२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सीमिती आरती आठवले 2. वर्तमान धारित पद सहान प्रहिया

3. वर्तमान वेतन ... 95,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01/07/25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इन्दौर	गृह	0750 99 Feet	65,00,000	स्वयं के नाम पर	-	2,04,000	
ओपाबा	गृह	1250	70,00,000/-	पति श्री अमोल आठवले के साथ Joint Property	-	-	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवसल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-287-A-दि-24-1-022-1000

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम, तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती ममता त्रिपाठी 2. वर्तमान धारित पद सहा. प्राध्यापक (प्राचार्य हाई स्कूल)
3. वर्तमान वेतन 95000/- N.D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	घर	-	5000000/-	पति स्वयं के नाम	बैंक लोन	Nil	-
भोपाल	फ्लैट	-	20,00000/-	पति के नाम	बैंक लोन	100000/-	-
भोपाल	-	फार्म हाउस	1500000/-	स्वयं के नाम	स्वयं की बचत व पिता द्वारा दान राशि (अर्ज)	Nil	-
रायसेन (सतहरी)	-	भूमि (कृषि)	15000000/-	स्वयं के वपति के नाम	स्वयं की बचत व विरासत	1000000/-	-
रायसेन (आयव्याज)	-	भूमि (कृषि)	12000000/-	पति के नाम	विरासत	600000/-	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

श्रीमती ममता त्रिपाठी
सहा. प्राध्यापक

W-0-287-A-दि-24-1-022-1000 %

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती शोनिशा भाषुर 2. वर्तमान धारित पद कक्षा अधिकारी उच्चनैनीश्वर।

3. वर्तमान वेतन 90400/- अगला वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.25

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	वसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

... जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ... ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 ... इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से अधिकृत है कि वह सेवा में पहली विपुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली, या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त, अबल सम्पत्ति के ऊपर है।

हस्ताक्षर... S. Mahal

सम श्रीमती सोनिया गांधी.....
यद क०अ० उज्जैन परीक्षा (हर्षलाल पाचार्य)

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000 %

श्री 2 दिनांक 8

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 31-12-2024

1-अधिकारी कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :- श्रीमती किरण शर्मा 2- Employee Unique Code -- AW 6187

वर्तमान धारित पद :- प्राचार्य हाई स्कूल मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर)

3- वर्तमान वेतन :- रु 66500+ DA रु 33250 4-अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01-07-2025

उस जिले उपसभाग तालुका तथा ग्राम पंचायत का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार से अर्जित किया गया "खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
तहसील हुजूर जिला सीवा (मध्य प्रदेश)	1-निर्मित भवन (भूमि का क्षेत्रफल 2280 वर्ग फीट)	—	प्लॉट + भवन का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रु 9500000/-	स्वयं के नाम पर है बैंक का ऋण वेतन से चुकता कर भूमि बंधक से मुक्त	वेतन से प्राप्त धन एवं बैंक से ऋण प्राप्त करके भवन निर्माण का कार्य कराया गया है	निरंक	निरंक
तहसील हुजूर जिला भोपाल (मध्य प्रदेश)		रिहायशी प्लॉट (भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट)	वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रु 7000000/-	स्वयं के नाम पर	दिनांक 30/05/2023 को कय किया 1-पूर्व में कय किये गये आवास के विक्रय से प्राप्त राशि रु 4800000(रु छियालिस लाख मात्र) एवं शेष रु 300000(रु तीन लाख मात्र) मेरे बचत खाता क्रमांक 10990061404 एसबीआई भोपाल के माध्यम से अदा की गई। पति एवं पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं	निरंक	निरंक

*जहाँ लागू न हो काट दें

**जहाँ मूल्य का सही निर्धारण संभव न हो वर्तमान स्थिति बताई जाये

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1969 के नियम 18(3)के आधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्ये सदस्य से यह अपेक्षित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषण भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हस्ताक्षर Shri 2 दिनांक 8
नाम..... श्रीमती किरण शर्मा
पद..... प्राचार्य हाई स्कूल
Employee Unique Code -- AW 6187-----
विभाग -माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2025

श्री 22/11/25
श्री 22/11/25
3/04/25

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - डॉ. मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ, 2. वर्तमान धारित पद - कक्षाधिकारी, अभिलेख कक्ष, मा.शि.मण्डल 3. वर्तमान वेतन 89400 अगली वेतनवृद्धि की तरीख

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है ?	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला भोपाल, ग्राम जाटखेड़ी तहसील हुजूर	ऑरचर्ड 180, रुचि लाइफ स्केप, भोपाल	-	70,00,000.00	स्वयम् पत्नी एवं पत्नी डॉ. मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ	उक्त सम्पत्ति मेसर्स ब्राइट स्टार इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा.लि. से 35.50 लाख में कय की गई, जिसमें 25.00 लाख रु. स्टेट बैंक आफ इंडिया से लोन, स्वयं एवं पत्नी की संयुक्त बचत से 5.50 लाख एवं 5.00 लाख पिताजी के सहयोग से		

हस्ताक्षर

नाम

पद

-

-

-

डॉ. मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ

कक्षाधिकारी, अभिलेख कक्ष,
मा.शि.मण्डल, भोपाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो निशि शर्मा (स्कूल शिक्षा) 2. वर्तमान धारित पद व्याख्याता
3. वर्तमान वेतन 90,000 (Basic) अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल तह०- हुन्नूर	गृह	-	17 लाख	पति के नाम	स्वयं की बचत	NIL	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्यामिल्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम निशि शर्मा
पद व्याख्याता
08/01/2025

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती क्षमा डूने 2. वर्तमान धारित पद सहा. प्राध्यापक (हॉस्टल प्राचार्य)
3. वर्तमान वेतन 931000 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/25

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल (1)	गृह A-22 तिलक नगर बावडिया मोपाल	-	80,00000/- ऑटोलीन लगाया	पति के नाम श्री देवेन्द्र कुमार डूने	बैंक लोन व वचत राशि	-	
(2)	-	सुहाना लाल 1600 Sq. Ft.	12,00000/- दलाल लगाया	स्वयं	PNB बैंक लोन	-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली, या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-रुशा-अ-दि-24-1-022-10000/-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

Smt. Rekha Sharma

2. वर्तमान धारित पद

Principal

3. वर्तमान वेतन

98800/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) BHOPAL Vidhy Nagar	Plot		20 Lakh	With Husband	Lease deed	—	—
(2) BHOPAL	chuna Bhattia	House	80 Lakh SBI lone	— " —	Registered	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Smt. Rekha Sharma
Principal

W-0-287-35-दि-24-1-022-1000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ASHA BAIS 2. वर्तमान धारित पद M.S.Sc. (PRINCIPAL)3. वर्तमान वेतन 33100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इंदौर जिला इंदौर तहसील निलकंठ खुर्द गांव	-	भूखंड 4354 खवाया जीर	18,25000/-	स्वयं	क्रम क्रिया है।	निरंक	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

ASHA BAIS

PRINCIPAL (M.S.Sc.)

W-0-28A-A-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

मीठा कन्हाई

2. वर्तमान धारित पद

CMA & VMDT

3. वर्तमान वेतन

₹ 8800

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① सिधा गिर मोपाब	गृह भवन		30, Lakh	₹ 94	बैंक से लोन लेकर	Nel	
44-C. Vidhyapangra	30X50 15,000 Sq. मी.	भूमि	2, 50,000	₹ 94	Savings	Nel	
2. समसगाब मोपाब	2200 Sq. मी.	भूमि	3, 50,000	₹ 94	Saving	Nel	
③ समसगाब मोपाब	3, 500 Sq. मी.						

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

Neeli
Neeli Kanha

W-0-287-35-दि-24-1-022-1000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो वन्दना सिंह 2. वर्तमान धारित पद उच्च माध्यमिक शिक्षक
3. वर्तमान वेतन 50,200... Rs. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.25.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला-शिवी	30 X 60 = 1800 Sq. feet मकान	—	Rs 60,00,000	पति के नाम से, अनिलकु सिंह	विरासत	nil	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति, अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Vandana Singhनाम वन्दना सिंहपद उच्च माध्यमिक शिक्षक

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10001.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विमलेश कुमार द्विवेदी 2. वर्तमान धारित पद मा. डि.3. वर्तमान वेतन 48700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) ग्राम पोस्ट- अरगट जिला- सतना (म.प्र.)		5 एकड़	जात नहीं	स्वयं	विरासत	35000/-	
2) ग्राम पोस्ट- बड़खरा जिला- सीधी (म.प्र.)		4 एकड़	जात नहीं	पिता	विरासत	85000/-	
3) ग्राम- औरा पोस्ट- लखरी जिला- सीधी (म.प्र.)		3.5 एकड़	जात नहीं	माता	विरासत	85000/-	
						195000/-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

विमलेश कुमार द्विवेदी

नाम

मा. डि.

पद

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

दीपमाला शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

माध्यमिक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन 44,000 Rs.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

11/7/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रीवा		2240sq.m 10,00,000 1230sq.m 15,00,000		दीपमाला शर्मा "	खरीद अर्जित दिनांक 11/12/20 श्यामलाली मिश्रा 8/2/2024	Nil	Nil

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

D Sharma

नाम

Deepmala Sharma

पद

M.S.

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

राशि तिवारी

2. वर्तमान धारित पद

माध्यमिक शिक्षक

3. वर्तमान वेतन

44000/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

1/7/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सीवा	—	45X60 = 2700sq	10,00000 = 100 Rs.	—	पति द्वारा वर्ष 1999	माँ	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार इन्हें करने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

राशि तिवारी

नाम

राशि तिवारी

पद

मा ० शिक्षक

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/1

प्रीति विवाह
8

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुमेधा पाण्डेय 2. वर्तमान धारित पद 30 मा. शिक्षक
3. वर्तमान वेतन 50200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① जिला-रीवा	गृह	-	40 लाख	X	2वरीय	X	
② ग्राम टिकुरी जिला रीवा	-	भूमि	10 लाख	X	2वरीय	X	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार इन्होंने की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के स्वरूप दें।

हस्ताक्षर Sumegha Pandey

नाम Sumegha Pandey
पद (Uch-m.s)
30 मा. शिक्षक

W-0-रहा-अ-दि-24-1-022-10000/-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डा. प्रियंका शुक्ला 2. वर्तमान धारित पद मा. शिक्षक
3. वर्तमान वेतन 4.8100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोट, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) सतना, मझगाँवा, रौल्ता (2) सतना, काहना (3) सतना, बगदायक (4) शीवा, लेमरिया (5) सतना, मेधाविनी मिहिर	घर	22500 वर्ग फीट 1849 वर्ग फीट 5300 वर्ग फीट 2350 वर्ग फीट	3 लाख 6 लाख 5 लाख 9 लाख 50 लाख	स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं व पति के साथ	अर्जित अर्जित अर्जित अर्जित विरासत	1412 NIL NIL NIL 2 लाख विधायक	

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अन्वयण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम

डा. प्रियंका शुक्ला

पद

मा. शिक्षक

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

मन्मथ शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

m-s Teacher

3. वर्तमान वेतन

48100

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शोपाल	हरे	—	25,00,000	—	ख़रीद मई 2019 जामर पर्व सो सखी अश्विन केसरी	60,000/-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार इन्होंने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Mam

नाम

Mam. Shrivastava

पद

m-s Teacher

W-0-28A-A-दि-24-1-022-10000/1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती संगीता चौधरी 2. वर्तमान धारित पद माध्यमिक शिक्षक
3. वर्तमान वेतन ५४७००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१-०७-२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम-गोहवा तहसील-रायपुर जिला-बलिया बीवा (म.प.)	-	भूमि	6,10,000/-	पति / श्री रामप्रसाद जागत	बस	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्जन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के स्वरूप दें।

हस्ताक्षर Sangita Choudhary 28-12-24
नाम संगीता चौधरी
पद माध्यमिक शिक्षक

W-0-28A-3A-दि-24-1-022-10000/

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : महेश कुमार तिवारी 2. वर्तमान धारित पद : प्राचार्य3. वर्तमान वेतन : रु. १४४००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : १.७.२०२५

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला शीवा तहसील डुबूर- संजय नगर वार्ड क्र. 14 शीवा	गृह	-	25 लाख	पत्नी श्रीमती कुमुद तिवारी	-	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10001.

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मन्जुदेव सिंह चन्दा 2. वर्तमान धारित पद पी. टी. ऑफिसर
3. वर्तमान वेतन 77100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/01/2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम हनुडिया गाँव तह: पिपलौडा	—	कृषि भूमि 12.88 रु. 0-030 अमी	खाली गद्दी	स्वयं के नाम	पिता से विरासत में मिली 26/04/99 की तारीख से 60,000 रु. में अर्जित	Nil	
② ग्राम बोरा तह: जावरा पि. रतनाम	—	कृषि भूमि 0-030 अमी	खाली गद्दी	— do —	26/04/99 की तारीख से 60,000 रु. में अर्जित	Nil	
③ ग्राम बन्ना खेडा जावरा पि. रतनाम	—	कृषि भूमि 0-054 अमी	खाली गद्दी	क्री. जमीन मालिकी पत्नी	26/04/99 की तारीख से 3,933 रु. में अर्जित	Nil	
④ ग्राम बन्ना खेडा जावरा पि. रतनाम	—	100 वर्गमीटर	खाली गद्दी	— do —	उपरोक्त 26/04/99 की तारीख से 4,40,000 रु. में अर्जित	Nil	
⑤ लंदारी पत्रकार कोषी जावरा रतनाम	—	125 Sq Ft	खाली गद्दी	स्वयं के नाम	26/06/2007 में अर्जित	Nil	
⑥ 13 राजीव कांतेनी जावरा रतनाम	2098 Sq Ft	—	खाली गद्दी	— do —	26/06/2007 में अर्जित	Nil	

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह माहों में अर्थात् परवाना पत्र प्रेषण पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्यामिल्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति, अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

W-0-र-शा-अ-दि-24-1-022-10000/1.

अ. वि. दि. 24

5

- 1) अधिकारी का नाम तथा सेवा का नाम जिसमें वह हो- श्रीमती अनुपमा शुक्ला
- 2) वर्तमान धारित पद - प्र. प्राचार्य हाई स्कूल
- 3) प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक - शिक्षा कर्मी वर्ग 1 (12.08.98)
- 4) प्रथम नियुक्ति के समय मूलवेतन -
- 5) वर्तमान पद का मूलवेतन - 66500/-

Date
22/10/24

1	2		3	4	5	6	7
जिला/उपसभागा/तहसील तथा ग्राम जिसमें उक्त सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		सम्पत्ति अर्जित करने का दिनांक एवं उसका उस समय का मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये वे शासकीय सेवा से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय
	गृह तथा अन्य भवन	कृषि भूमि/आवासीय प्लाट					
ग्राम मेंडोरी तह. हुजूर जिला भोपाल	-	अवि. कृषि भूमि 0.81 हे. अवि. कृषि भूमि 0.510 हे. अवि. कृषि भूमि 0.08 हे.	दि. 26/06/01 (रु. 3.00 लाख) दि. 29/05/06 (रु. 3.65 लाख) दि. 29/10/05 (रु. 30,000)	ज्ञात नहीं	-	पिताजी द्वारा प्रदत्त राशि से अर्जित - मामाजी द्वारा प्रदत्त राशि से अर्जित	
ग्राम कलखेडा तह. एवं हुजूर जिला भोपाल	-	अवि. कृषि भूमि 1.23 हे.	दि. 06/02/06 (रु. 4.80 लाख)	-	-	स्वयं की बचत से अर्जित	
ग्राम चैनपुरा तह. एवं जिला सिहोर	-	अवि. कृषि भूमि 2.804 हे. अवि. कृषि भूमि 0.809 हे. अवि. कृषि भूमि 1.01 हे. अवि. कृषि भूमि 0.56 हे.	दि. 02/11/06 (रु. 4.72 लाख) दि. 31/03/08 (रु. 2.50 लाख) दि. 22/05/08 (रु. 3.74 लाख) दि. 27/03/12 (रु. 2.18 लाख)	- - - -	- - - -	मामाजी द्वारा प्रदत्त राशि से अर्जित स्वयं की बचत एवं माता जी द्वारा प्रदत्त राशि से अर्जित दादीजी द्वारा प्रदत्त राशि से अर्जित स्वयं की बचत से अर्जित	
ग्राम बरखेडी कला तह. हुजूर जिला भोपाल	-	अवि. कृषि भूमि 0.095 हे. अवि. कृषि भूमि 0.095 हे.	दि. 29/05/06 (रु. 4.80 लाख) दि. 29/05/06 (रु. 3.75 लाख)	- -	- -	स्वयं की बचत से अर्जित एवं माताजी द्वारा प्रदत्त	
ग्राम नीलबड़ तह. हुजूर जिला भोपाल	-	आवा. भूखण्ड 278.81 वर्ग मीटर	दि. 4.01.07 (रु. 2.23 लाख)	-	-	पिताजी द्वारा प्रदत्त राशि से अर्जित	
ग्राम दाबला तह. एवं जिला सिहोर	-	अवि. कृषि भूमि 0.243 हे.	दि. 06/02/07 (रु. 80,000)	-	-	स्वयं की बचत से अर्जित	
विश्वास नगर कॉलोनी बंजारी महु	-	आवा प्लाट 3000 वर्ग फीट	दि. 17/10/07 (रु. 3.07 लाख)	-	-	पिताजी द्वारा प्रदत्त राशि से अर्जित	
मंदाकनी सोसाइटी कोलार रोड भोपाल	-	आवा प्लाट 223.04 वर्ग मी. एवं उस पर निर्मित मकान 115 वर्ग मी	दि. 27/01/09 (रु. 4.91 लाख) एवं लगभग (रु. 9 लाख)	-	-	स्वयं की बचत एवं बैंक ऋण से अर्जित एवं निर्मित	

सीनियर एल.आइ.जी. अमरावती भोपाल	-	निर्मित पुराना भवन 41.08 वर्ग मी.	दि.21/10/09(रु. 4,37,500)	-	-	स्वयं की बचत से अर्जित एवं मामाजी द्वारा प्रदत्त राशि से अर्जित	
ग्राम खोरी तह. हुजूर जिला भोपाल	-	कृषि भूमि 0.40 हे.	दि.15/02/10(रु 1.08लाख)	-	-	स्वयं की बचत से अर्जित	
ग्राम बड़खेड़ा नाथू तह. हुजूर जिला भोपाल	-	अव्य. कृषि भूखंड 0.0329 हे. अर्थात् 330.75 वर्ग मी.	दि.22/02/24(रु 17.00लाख)	-	-	स्वयं की बचत से अर्जित	
ग्राम सेमरी बाजयपत्त तह. हुजूर जिला भोपाल	-	कृषि भूमि 0.10 हे. कृषि भूमि 0.0720 हे.	दि.08/11/24(रु 20.80लाख) दि.13/11/24(रु 19.70लाख)	-	-	ग्राम खुरानिया तह एवं जिला सिहोर में स्थित कृषि भूमि की विक्रय से प्राप्त राशि से अर्जित	

दिनांक - 13/01/25

स्थान भोपाल

हस्ताक्षर

नाम. डॉ. श्रीमती अनुपमा शुक्ला

प. प्राचार्य हाईस्कूल